न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी सदर कानपुर नगर।

वाद स0–153 /09–10

अन्तर्गत धारा–143 यू0पी0जेड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट।

ग्राम–सलेमपुर परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर।

एविसस एजूकेशनल सोसाइटी बनाम उ0प्र0 सरकार आदि।

जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट (सदर) कानपुर नगर

नकल - निर्णय - दि० 29/04/2010 (हमाफ़िक)

प्रस्तुत पत्रावली की कार्यवाही एक्सिस एजूकेशनल सोसाइटी पंजीकृत कार्यालय 117/एन/88, काकादेव कानपुर नगर द्वारा श्री राज कुशवाहा पुत्र श्री राम आसरे कुशवाहा निवासी 117/एन/88, काकादेव कानपुर नगर के प्रार्थना पत्र दिनांक–22.03.2010 के आधार पर प्रारम्भ की गयी, जिसमे कहा गया है कि ग्राम–सलेमपुर परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर की खतौनी वर्ष 1412–1417 फसली की खाता संख्या–618 की आराजी संख्या–1187मि0/0.3070हे0 प्रार्थी/वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, प्रश्नगत भूमि के किसी भी अंश पर कृषि कार्य, बागवानी, कुकुट पालन, मतस्य पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है, उपर्युक्त भूमि कृषि कार्य के उपयोग में नहीं लायी जा रही है, ऐसी दशा में भूमि का उपयोग अकृषिक/आवासीय दर्ज कराना चाहता है, ताकि आवश्यकता पडने पर उसका उपयोग कर सके।

प्रार्थनापत्र की जांच तहसीलदार सदर कानपुर नगर से करायी गयी, तहसीलदार सदर ने अपनी जांच आख्या दिनांक–21/04/2010 को प्रेषित करते हुये यह उल्लिखित किया, कि ग्राम–सलेमपुर परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर की खतौनी वर्ष 1412–1417 फसली की खाता संख्या–618 की आराजी सख्या–1187मि0/0.3070हे0 प्रार्थी/वादी के नाम सक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, भूमि पर वर्तमान समय में कृषि कार्य नही हो रहा है, और न ही भूमि पर कृषि कार्य/बागवानी/कुकुट पालन/मत्स्यपालन आदि कार्य हो रहा है,तहसील आख्या में उक्त भूमि को अकृषिक/आवासीय घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। आख्या में ज0विनियमावली के नियम–135 के अन्तर्गत सूचना/विवरण भी प्रस्तुतकिया गया है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो/साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा वादी पक्ष को सुना। पत्रावली पर प्रस्तुत आख्या दिनांक–21/04/2010 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि उक्त आराजी पर कृषि कार्य/बागवानी/कुकुक्ट पालन/मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा है, एवं भूमि पर अकृषिक गतिविधियां विद्यमान है, उक्त भूमि को ज0वि0अधि0 की धारा–143 के अन्तर्गत अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

ग्राम–हाथीपुर परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर की खतौनी वर्ष 1412–1417 फसली की खाता संख्या–618 की गाटा संख्या–1187मि0/0.3070हे0 को ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाता है, तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक–एक प्रति तहसीलदार सदर व सम्बन्धित उपनिबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु/सूचनार्थ भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक– 23/04/2010

(प्रहलाद सिंह)
सहायक कलेक्टर प्रथम
श्रेणी/उपजिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

सत्य-प्रतिलिपि
वाचक 16/2/18
उप जिलाधिकारी, कानपुर नगर

तैयार कर्ता
मिलान कर्ता

त्र की क्रम संख्या 4186
त्र देने का दिनांक 12/02/2018
प्रार्थना पत्र देने वाले का नाम राज कुशवाहा
नकल तैयारी दिनांक 16/02/2018
नकल देने का दिनांक 16/02/2018
रुपये 12:00/-

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी सदर कानपुर नगर।

वाद स0–154 /09–10

अर्न्तगत धारा–143 यू0पी0जेड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट।

ग्राम–सलेमपुर परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर।

केसिस एजूकेशनल सोसाइटी बनाम उ0प्र0 सरकार आदि।

नकल- निर्णय- दि० 23/04/2010 (ग्राम सलेमपुर)

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही एक्सिस एजूकेशनल सोसाइटी पंजीकृत कार्यालय 117/एन/88, काकादेव ानपुर नगर द्वारा श्री राज कुशवाहा पुत्र श्री राम आसरे कुशवाहा निवासी 117/एन/88, काकादेव कानपुर गर के प्रार्थना पत्र दिनांक–22.03.2010 के आधार पर प्रारम्भ की गयी, जिसमे कहा गया है कि ाम–सलेमपुर परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर की खतौनी वर्ष 1412–1417 फसली की खाता ंख्या–761 की आराजी संख्या–1182मि0/0.154हे0, 0.092हे0, 0.154हे0 व आराजी संख्या–1186/0.154हे0 ा कुल रकबा 0.554हे0 प्रार्थी/वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, प्रश्नगत भूमि के केसी भी अंश पर कृषि कार्य, बागवानी, कुकुट पालन, मतस्य पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है, उपर्युक्त भूमि कृषि कार्य के उपयोग में नहीं लायी जा रही है, ऐसी दशा में भूमि का उपयोग अकृषिक/आवासीय दर्ज राना चाहता है, ताकि आवश्यकता पडने पर उसका उपयोग कर सके।

प्रार्थनापत्र की जांच तहसीलदार सदर कानपुर नगर से करायी गयी, तहसीलदार सदर ने अपनी जांच ाख्या दिनांक–21/04/2010 को प्रेषित करते हुये यह उल्लिखित किया, कि ग्राम–सलेमपुर परगना व हसील व जिला कानपुर नगर की खतौनी वर्ष 1412–1417 फसली की खाता संख्या–761 की आराजी ंख्या–1182मि0/0.154हे0, 0.092हे0, 0.154हे0 व आराजी संख्या–1186/0.154हे0 का कुल रकबा 0.554हे0 र्थी/वादी के नाम सक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, भूमि पर वर्तमान समय में कृषि कार्य नही हो ा है, और न ही भूमि पर कृषि कार्य/बागवानी/कुकुक्ट पालन/मत्स्यपालन आदि कार्य हो रहा है,तहसील ख्या में उक्त भूमि को अकृषिक/आवासीय घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। आख्या में 0विनियमावली के नियम–135 के अन्तर्गत सूचना/विवरण भी प्रस्तुतकिया गया है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो/साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा वादी पक्ष को सुना। पत्रावली प्रस्तुत आख्या दिनांक–21/04/2010 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि उक्त आराजी पर कृषि र्य/बागवानी/कुकुक्ट पालन/मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा है, एवं भूमि पर अकृषिक गतिविधियां द्यमान है, उक्त भूमि को ज0वि0अधि0 की धारा–143 के अन्तर्गत अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाना यसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

ग्राम–हाथीपुर परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर की खतौनी वर्ष 1412–1417 फसली की ाता संख्या–761 की आराजी संख्या–1182मि0/0.154हे0, 0.092हे0, 0.154हे0 व आराजी संख्या–1186/ 154हे0 का कुल रकबा 0.554हे0 को ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत कृषिक/आवासीय घोषित किया जाता है, तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक–एक ि तहसीलदार सदर व सम्बन्धित उपनिबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु/सूचनार्थ भेजी जाये। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक–23/04/2010

(प्रहलाद सिंह)
सहायक कलेक्टर प्रथम
श्रेणी/उपजिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

सत्य-प्रतिलिपि
वाचक 16/2/18
उप जिलाधिकारी, कानपुर नगर

नकल प्रार्थना पत्र का क्रमांक 4187
नकल प्रार्थना पत्र का दिनांक 12/02/2018
आवेदक/प्रार्थी का नाम राज कुशवाहा
नकल तैयार होने का दिनांक 16/02/2018
नकल जारी करने का दिनांक 16/02/2018
शब्द बारह रु० केवल
निरस्त टिकट 12.00/-

तैयार कर्ता
मिलान कर्ता